राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकः एफ 5(1) आ.प्र.एवं स.आ./चारा./09/ 2661-93 जयपुर,दिनांकः 27.2.2009

वास्ते,

जिला कलेक्टर,
अजमेर, बाडमेर,बीकानेर, भीलवाडा,
डूंगरपुर, जैसलमेर, जालोर,जोधपुर,
नागौर,पाली, राजसमन्द एवं सिरोही।

विषय :– अभाव संवत 2065 में अभावग्रस्त जिलों में अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को अनुदान स्वीकृत करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके जिले के अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं में अभाव घोषणा की अधिसूचना दिनांक 6.2.09 के पश्चात पशुओं में हुई अतिरिक्त वृद्वि को अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। इस कम में आपके जिले से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार निम्न तालिका में दर्शाये गये जिलों के सम्मुख अंकित गौशालाओं के पशुओं को दिनांक 01 मार्च,2009 से अनुदान दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क.सं.	नाम जिला	गौशालाओं की संख्या	पशुओं की संख्या		
			बडे	छोटे	योग
1.	अजमेर	3	22	4	26
2.	बाडमेर	गौशालाओं को अनुदान स्वीकृत करने हेतु कोई मांग नहीं है।			
3.	बीकानेर	4	110	27	137
4.	भीलवाडा	6	370	235	605
5.	डूंगरपुर	गौशालाओं को अनुदान स्वीकृत करने हेतु कोई मांग नहीं है।			
6.	जैसलमेर	गौशालाओं को अनुदान स्वीकृत करने हेतु कोई मांग नहीं है।			
7.	जालौर	7	53	82	135
8.	जोधपुर		NA		
9.	नागौर	गौशालाओं को अनुदान स्वीकृत करने हेतु कोई मांग नहीं है।			
10.	पाली	13	76	56	132
11.	राजसमन्द	2	2	8	10
12.	सिरोही	3	105	96	201

उपरोक्त गौशालाओं के पशुओं को अनुदान स्वीकृत करने के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश पूर्व में आपको प्रेषित सहायता निर्देशिका में अंकित है। सहायता निर्देशिका में दिये गये निर्देशों के क्रम में निम्न दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे :–

1. गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं को बडे पशु हेतु 20/– रूपये तथा छोटे पशु हेतु 10/– रूपये प्रति पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान देय होगा।
2. निर्धारित दर से अनुदान स्वीकृत उसी स्थिति में किया जावे जबकि गौशाला संचालकों द्वारा संधारित किये जा रहे पशुओं को चारे के साथ–साथ क्रमशः 1 कि.ग्रा. पशु आहार बडे पशु हेतु तथा 1/2 कि.ग्रा. पशु आहार छोटे पशुओं को उपलब्ध कराया जाता है। यदि निर्धारित दर पर पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो पशु आहार की राशि क्रमशः

6/– रूपये बड़े पशु तथा 3.00 रूपये प्रति छोटे पशु के हिसाब से अनुदान बिलों से काटी जाकर शेष रही राशि ही अनुदान स्वरूप स्वीकृत की जावे।

3. पशु आहार आर.सी.डी.एफ./राजफैड द्वारा निर्मित ही क्रय कर पशुओं को उपलब्ध कराया जाने पर अनुदान देय होगा।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी पंजीकृत गौशाला जिसके द्वारा पशुओं का संधारण किया जा रहा है उसके लिए जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त ही अनुदान राशि देय होगी।

5. उक्त निर्देश के अतिरिक्त गौशालाओं द्वारा पशुओं को दिये जाने वाले अनुदान के संदर्भ में विस्तृत निर्देश सहायता निर्देशिका में उल्लेखित है।

भवदीय,

27/2/09

शासन सचिव

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय, माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, राज0, जयपुर
2. निजी सचिव, समस्त मन्त्रीगण
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग,राज0,जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
7. संभागीय आयुक्त, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर ।
8. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
9. निजी सचिव, शासन उप सचिव, आ0प्र0एवं सहायता विभाग, जयपुर
10. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।

27/2/09

शासन सचिव